



## न्यायपूरण (समान) नागरिकी संहति

यह एडिटोरियल 24/06/2023 को 'द हट्टू' में प्रकाशित [“Strike a fine balance, have a just civil code”](#) लेख पर आधारित है। इसमें समान नागरिकी संहति (UCC) और इसके कार्यान्वयन से जुड़ी चुनौतियों के बारे में चर्चा की गई है।

### प्रलिस के लयि:

[मौलिक अधिकार](#), [वधिआयोग](#), [राज्य के नीतिनिदिशक तत्त्व](#), [समान नागरिकी संहति](#)

### मेन्स के लयि:

समान नागरिकी संहति के कार्यान्वयन में चुनौतियाँ।

भारत के वधिआयोग (Law Commission of India) ने समान नागरिकी संहति (Uniform Civil Code- UCC) के संबंध में सार्वजनिक मत और प्रस्ताव आमंत्रित किये हैं। [UCC](#) भारत में एक अत्यधिक विवादित और राजनीतिक रूप से ज्वलंत मुद्दा रहा है। UCC पर [वधिआयोग](#) का पूरव में यह रुख रहा था कि यह न तो आवश्यक है, न ही वांछनीय। UCC एक प्रस्ताव है जो विभिन्न धार्मिक समुदायों के प्रसनल लॉ को सभी नागरिकों के लयि कानूनों के एक साझा समूह से प्रतस्थापित करने का लक्ष्य रखता है।

## समान नागरिकी संहति क्या है?

### परचिय:

- समान नागरिकी संहति का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में किया गया है, जो [राज्य की नीतिके नदिशक तत्त्व](#) (Directive Principles of State Policy- DPSP) का अंग है।
  - अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि "राज्य, भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लयि एक समान सविलि संहति प्राप्त कराने का प्रयास करेगा।"
- ये नदिशक तत्त्व कानूनी रूप से प्रवर्तनीय नहीं होते हैं, लेकिन नीतिनिर्माण में राज्य का मार्गदर्शन करते हैं।
  - UCC का कुछ लोगों द्वारा राष्ट्रीय अखंडता और [लैंगिक न्याय](#) को बढ़ावा देने के एक तरीके के रूप में समर्थन किया जाता है तो कुछ लोगों द्वारा इसे धार्मिक स्वतंत्रता और विविधता के लयि खतरा बताकर इसका वरिोध किया जाता है।
- भारत में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ समान नागरिकी संहति लागू है। वर्ष 1961 में पुर्तगाली शासन से स्वतंत्रता के बाद गोवा ने अपने सामान्य पारिवारिक कानून को बनाये रखा, जसि गोवा नागरिकी संहति (Goa Civil Code) के रूप में जाना जाता है।
- शेष भारत में धार्मिक या सामुदायिक पहचान के आधार पर विभिन्न प्रसनल लॉज़ (personal laws) का पालन किया जाता है।

### भारत में व्यक्तगित कानून:

- वर्तमान में न केवल मुस्लिम बल्कि हिंदू, जैन, बौद्ध, सखि, पारसी और यहूदी भी अपने प्रसनल लॉ द्वारा शासित होते हैं।
  - व्यक्तगित कानून धार्मिक पहचान के आधार पर निर्धारित होते हैं।
- संशोधित हिंदू प्रसनल लॉ में अभी भी कुछ पारंपरिक प्रथाएँ शामिल हैं।
- अंतर तब उत्पन्न होते हैं जब हिंदू और मुस्लिम विशेष विवाह अधिनियम (Special Marriage Act) के तहत विवाह करते हैं, जहाँ हिंदू अब भी हिंदू प्रसनल लॉ द्वारा शासित होते रहते हैं, लेकिन मुस्लिम नहीं।

## UCC को लागू करने की राह की चुनौतियाँ

### विविध व्यक्तगित कानून और पारंपरिक प्रथाएँ:

- भारत विविध धर्मों, संस्कृतियों और परंपराओं का देश है।
  - प्रत्येक समुदाय के अपने व्यक्तगित कानून और रीति-रिवाज हैं जो उनके नागरिकी मामलों को नियंत्रित करते हैं।
  - ये कानून और प्रथाएँ विभिन्न क्षेत्रों, संप्रदायों और समूहों में व्यापक रूप से भिन्न-भिन्न हैं।
- ऐसी विविधता के बीच एक समान आधार और एकरूपता पा सकना अत्यंत कठिन एवं जटिल है।
- इसके अलावा, कई व्यक्तगित कानून संहतिबद्ध या प्रलेखित नहीं हैं, बल्कि मौखिक या लिखित स्रोतों पर आधारित हैं जो प्रायः

अस्पष्ट या वरिधाभासी होते हैं।

■ **धार्मिक और अल्पसंख्यक समूहों की ओर से प्रतिक्रिया:**

- कई धार्मिक और अल्पसंख्यक समूह UCC को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता एवं सांस्कृतिक स्वायत्तता के उल्लंघन के रूप में देखते हैं।
- उन्हें भय है कि समान नागरिक संहिता एक बहुसंख्यकवादी या समरूप कानून लागू करेगी जो उनकी पहचान एवं विविधता की उपेक्षा करेगी।

- वे यह तर्क भी देते हैं कि UCC अनुच्छेद 25 के तहत प्राप्त उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करेगी। **अनुच्छेद 25** "अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता" प्रदान करता है।

■ **राजनीतिक इच्छाशक्ति और सर्वसम्मति का अभाव:**

- UCC को लाने और उसे लागू करने के संबंध में सरकार, विधायिका, न्यायपालिका और नागरिक समाज के बीच राजनीतिक इच्छाशक्ति एवं सर्वसम्मति की कमी है।
- ऐसी भी आशंकाएँ व्यक्त की गई हैं कि UCC समाज में सांप्रदायिक तनावों और संघर्षों को भड़का सकती है।

■ **व्यावहारिक कठिनाइयाँ और जटिलताएँ:**

- UCC को लागू करने के लिये भारत में प्रचलित विभिन्न प्रसनल लॉज़ और प्रथाओं का मसौदा तैयार करने, उन्हें संहिताबद्ध करने, उनके बीच सामंजस्य लाने और उन्हें तर्कसंगत बनाने की व्यापक कवायद की आवश्यकता होगी।
- इसके लिये धार्मिक नेताओं, कानूनी विशेषज्ञों, महिला संगठनों आदि सहित विभिन्न हितधारकों के व्यापक परामर्श और भागीदारी की आवश्यकता होगी।
- लोगों द्वारा UCC के अनुपालन और स्वीकृति को सुनिश्चित करने के लिये प्रवर्तन एवं जागरूकता के एक सुदृढ़ तंत्र की भी आवश्यकता होगी।

## 'DIRECTIVE PRINCIPLES CALL FOR UCC'

- SC favours UCC throughout India as envisaged under Article 44 of the Directive Principles in the Constitution
- Cites example of Goa, says the state has a UCC for all irrespective of their religion and no provision for triple talaq
- Says Muslim men whose marriages are registered in Goa cannot practise polygamy
- Says no attempt made to frame a UCC despite SC appeals in Shah Bano and Sarla Mudgal cases
- Hindu laws codified in 1956

“ It is interesting to note that whereas the founders of the Constitution in Article 44 in Part IV dealing with Directive Principles of state policy had hoped and expected that the state shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territories of India, till date no action has been taken in this regard

— SUPREME COURT BENCH

## UCC के लाभ

■ **राष्ट्रीय एकता और धर्मनिरपेक्षता:**

- समान नागरिक संहिता सभी नागरिकों के बीच एक समान पहचान और अपनेपन की भावना पैदा करके राष्ट्रीय एकता एवं धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देगी।
- इससे विभिन्न प्रसनल लॉज़ के कारण उत्पन्न होने वाले सांप्रदायिक और पंथ-संबंधी विवादों में भी कमी आएगी।
- यह सभी के लिये समानता, बंधुता और गरमा के संवैधानिक मूल्यों को भी संपुष्ट करेगी।

■ **लैंगिक न्याय और समानता:**

- समान नागरिक संहिता विभिन्न प्रसनल लॉज़ के अंतर्गत महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव और उत्पीड़न को दूर करके लैंगिक न्याय एवं समानता सुनिश्चित करेगी।
- यह विवाह, तलाक़, उत्तराधिकार, गोद लेने, भरण-पोषण आदि मामलों में महिलाओं को समान अधिकार और दर्जा प्रदान करेगी।
- यह महिलाओं को उन पतिसत्तात्मक और प्रतगामी प्रथाओं को चुनौती देने के लिये भी सशक्त बनाएगी जो उनके मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।

■ **कानूनी प्रणाली का सरलीकरण और युक्तिकरण:**

- समान नागरिक संहिता विभिन्न प्रसनल लॉज़ की जटिलताओं और वरिधाभासों को दूर करके कानूनी प्रणाली को सरल और युक्तिसंगत बनाएगी।
- यह विभिन्न प्रसनल लॉज़ के कारण उत्पन्न होने वाली वसिगतियों और खामियों को दूर करके नागरिक और आपराधिक कानूनों में सामंजस्य स्थापित करेगी।
- यह कानून को आम लोगों के लिये अधिक सुलभ और समझने योग्य बनाएगी।

■ **पुरानी एवं प्रतगामी प्रथाओं का आधुनिकीकरण और सुधार:**

- समान नागरिक संहिता कुछ प्रसनल लॉज़ में प्रचलित पुरानी एवं प्रतगामी प्रथाओं का आधुनिकीकरण और इसमें सुधार करेगी।
- यह उन प्रथाओं को समाप्त कर देगी जो भारत के संविधान में नहित मानव अधिकारों और मूल्यों के वरिद्ध हैं, जैसे तीन तलाक़,

- बहुविविह, बाल विवाह, आदि।
- यह बदलती सामाजिक वास्तविकताओं और लोगों की आकांक्षाओं को भी समायोजित करेगी।

## UCC से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रकरण

- **शाह बानो बेगम बनाम मोहम्मद अहमद खान (1985):**
  - सर्वोच्च न्यायालय ने मुस्लिम महिला के लिये इददत अवधि समाप्त के बाद भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125 के तहत अपने पति से भरण-पोषण का दावा करने के अधिकार की पुष्टि की।
    - न्यायालय ने माना कि समान नागरिक संहिता वचिारधारियों पर आधारित वरिधाभासों को दूर करने में मदद करेगी।
- **सरला मुद्गल बनाम भारत संघ (1995):**
  - सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक हदू पति अपनी पहली शादी को समाप्त किये बिना इस्लाम धर्म अपनाकर दूसरी महिला से विवाह नहीं कर सकता।
  - इस मामले में भी कहा गया कि UCC इस तरह के धोखाधड़ीपूर्ण धर्मांतरण और द्विविवाह की घटनाओं पर रोक लगाएगी।
- **शायरा बानो बनाम भारत संघ (2017):**
  - सर्वोच्च न्यायालय ने तीन तलाक़ की प्रथा को असंवैधानिक और मुस्लिम महिलाओं की गरमा एवं समानता का उल्लंघन करार दिया।
  - इसने यह अनुशंसा भी की कि संसद को मुस्लिम विवाह और तलाक़ को वनियमिति करने के लिये एक कानून का नरिमाण करना चाहिये।

## आगे की राह

- **एकता और एकरूपता:**
  - अनुशंसित समान नागरिक संहिता को भारत के बहुसंस्कृतवाद (multiculturalism) को प्रतबिबिति करने और इसकी वविधिता को संरक्षति करने में सक्षम होना चाहिये।
    - एकता (Unity) एकरूपता (uniformity) से अधिक महत्त्वपूर्ण है।
  - भारतीय संवधान सांस्कृतिक मतभेदों को समायोजित करने के लिये एकीकरणवादी और नयित्तरति, दोनों तरह के बहुसांस्कृतिक दृष्टिकोणों की अनुमति देता है।
- **हतिधारकों के साथ चर्चा और वचिार-वमिर्श:**
  - इसके अलावा, समान नागरिक संहिता को वकिसति करने और इसे लागू करने की प्रक्रिया में धार्मिक नेताओं, कानूनी वशिषज्जों एवं समुदाय के प्रतनिधियों सहित सभी हतिधारकों को शामिल किया जाना चाहिये।
  - इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मलि सकती है कि समान नागरिक संहिता में वभिन्नि समूहों के वविधि दृष्टिकोण एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है और इसे सभी नागरिकों द्वारा नषिपक्ष एवं वैध माना जाता है।
- **संतुलन का नरिमाण:**
  - वधिआयोग का लक्ष्य केवल उन प्रथाओं को समाप्त करना होना चाहिये जो संवैधानिक मानकों को पूरा नहीं करती हैं।
  - सांस्कृतिक प्रथाओं को वास्तविक समानता और लैंगिक न्याय लक्ष्यों के अनुरूप होना चाहिये।
  - वधिआयोग को वभिन्नि समुदायों के बीच प्रतकिरियाशील संस्कृतवाद में योगदान करने से परहेज करने की आवश्यकता है।
  - मुसलमि उलेमाओं को भेदभावपूर्ण एवं दमनकारी मुद्दों की पहचान करके और प्रगतशील वचिारों को अवसर देकर मुसलमि परसनल लॉ में सुधार प्रक्रिया का नेतृत्व करना चाहिये।
- **संवैधानिक परपिरेक्ष्य:**
  - भारतीय संवधान सांस्कृतिक स्वायत्तता के अधिकार की पुष्टि करता है और सांस्कृतिक समायोजन का लक्ष्य रखता है।
  - अनुच्छेद 29(1) सभी नागरिकों की वशिषिट संस्कृतिका संरक्षण करता है।
  - मुसलमानों को यह वचिार करने की ज़रूरत है कि बहुविविह और मनमाने ढंग से एकतरफा तलाक़ जैसी प्रथाएँ उनके सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप हैं या नहीं।
  - हमारा ध्यान एक ऐसी न्यायसंगत संहिता प्राप्त करने पर होना चाहिये जो समानता और न्याय को बढ़ावा दे।

**अभ्यास प्रश्न:** भारत में समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने के संवैधानिक, वधिक और सामाजिक-सांस्कृतिक नहितार्थों का वशिलेषति कीजिये। UCC की चुनौतियों और अवसरों को लोकतांत्रिक एवं धर्मनरिपेक्ष तरीके से कैसे संबोधति किया जा सकता है?

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष प्रश्न (PYQ)

????????????

**प्रश्न.** भारत के संवधान में नहिति राज्य के नीतनिदिशक सदिधांतों के तहत नमिनलखिति प्रावधानों पर वचिार कीजिये: (2012)

1. भारत के नागरिकों के लिये एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना
2. ग्राम पंचायतों का गठन
3. ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना

4. सभी श्रमकों के लिये उचित अवकाश और सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना

उपर्युक्त में से कौन से गांधीवादी सिद्धांत हैं जो राज्य के नीतिनिर्देशक सिद्धांतों में परिलक्षित होते हैं?

- (a) केवल 1, 2 और 4
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1, 3 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (b)

प्रश्न. कानून जो कार्यकारी या प्रशासनिक प्राधिकरण को कानून लागू करने के मामले में अनर्पित वविकाधीन शक्तियाँ प्रदान करता है, भारत के संविधान के नमिनलखिति में से कसि अनुच्छेद का उल्लंघन करता है?

- (a) अनुच्छेद 14
- (b) अनुच्छेद 28
- (c) अनुच्छेद 32
- (d) अनुच्छेद 44

उत्तर: (a)

??????

प्रश्न. उन संभावति कारकों पर चर्चा कीजयि जो भारत को अपने नागरकों के लयि एक समान नागरकि संहति लागू करने से रोकते हैं, जैसा किरिज्य के नीतिनिर्देशक सिद्धांतों में प्रदान कयिा गया है। (मुख्य परीक्षा, 2015)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/just-uniform-civil-code>

